

उप
रूपनगर


16-5-24 फ्रावली पेशहुई। वकील प्राधी अनु-
पस्थित, वकील अपाधी उपस्थित। मूल
वाद को अदम हाजरी। अदम पैखी



प्रकरण 34/2022
(हीरालाल vs. लाली)

में स्वारिज किया जा चुका है। अतः उक्त प्रकरण में
कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्राथी का
प्रार्थना-प्र स्वारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से
कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)